उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का लाइसेंस रद्द

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उत्तर प्रदेश सरकार** ने राज्य भर के सभी **16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिये**। इस निर्णय के अनुसार **मदरसों में नामांकित छात्रों** को अब **सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश लेना होगा।**

मुख्य बिंदु:

- 22 मार्च 2024 को, **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को **असंवैधानिक** घोषित कर दिया
  - न्यायालय ने इस अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि **मदरसा शिक्षा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध** है और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि धार्मिक शिक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जाना चाहिये।
  - हालाँकि **सर्वोच्च न्यायालय ने** इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर **रोक लगा दी**।
- मदरसा लाइसेंस रद्द करना धार्मिक शिक्षा संस्थानों के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
  - इस कदम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और सभी शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम व मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करना है।
- उल्लेखनीय है कि **उत्तर प्रदेश में** 25,000 से अधिक मदरसे हैं, जिनमें से लगभग **16,500 मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त** हैं।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004

- इस अधिनियम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में **मदरसों (इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों)** के कामकाज को विनियमित और नियंत्रित करना है।
- इसने पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लिये एक रूपरेखा प्रदान की।
- इस अधिनियम के तहत, राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लिये **उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड** की स्थापना की गई थी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/up-government-revokes-licenses-for-madrasas